संख्या-17/2018/सा-3-327/दस-2018-308/2016

प्रेषक,

अजय कुमार शुक्ला,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3 लखनऊः दिनाँक : 30 मई, 2018

विषयः- शासनादेश दिनाँक 18-07-2017 एवं सपठित शासनादेश दिनांक 04-09-2017 के अनुसार पेंशन पुनरीक्षण का कार्य शीघ्रता से सुनिश्चित किया जाना।

महोदय,

अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-38/2016/सा-3-923/ दस-2016, दिनांक 23-12-2016 में वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनरों की पेंशन के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में उक्त शासनादेश के क्रम में दिनांक 18-07-2017 एवं 04-09-2017 निर्गत किये गये हैं जिसके अनुसार वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण किया जाना है।

2- शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाये गये है कि विभागों द्वारा उक्त शासनादेशों के अनुसार पेंशन पुनरीक्षण का कार्य त्वरित गति से नहीं किया जा रहा है। अतः समस्त विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त शासनादेश दिनांक 18-07-2017 एवं 04-09-2017 के अनुसार पेंशन पुनरीक्षण का कार्य शीघ्रता से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ताकि पेंशनरों को कठिनाई का सामना न करना पड़े।

3- समस्त विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों से अपेक्षा की जाती है कि शासनादेश दिनाँक 18-07-2017 एवं सपठित शासनादेश दिनाँक 04-09-2017 के अनुसार वेतन का नोशनल निर्धारण कर संशोधित पी0पी0ओ0 निर्गत होने के सम्बन्ध में सूचना प्रत्येक माह की 10वीं तारीख को संलग्न प्रारूप पर निदेशक, पेंशन को उपलब्ध करायी जाये। समूह 'घ' के कर्मचारियों से सम्बन्धित सूचना कार्यालयाध्यक्षों द्वारा जनपद के मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी को संलग्नक-2 पर प्रेषित की जायेगी, तथा मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारियों द्वारा संकलित सूचना निदेशक पेंशन को प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक उपलब्ध करायी जायेगी। निदेशक पेंशन द्वारा 15वीं तारीख तक संकलित सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

संलग्नक - यथोपरि

भवदीय,
अजय कुमार शुक्ला
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-17/2018/सा-3-327(1)/दस-2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक, कोषागार उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ
3- निदेशक, पेंशन, इन्दिराभवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4- निदेशक,वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरा नगर लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- समस्त जिलाधिकारी/समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

<u>संख्या-17/2018/सा-3-327/दस-2018 दिनांक 30-05-2018 का संलग्नक-1</u>

(समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' के सेवानिवृत्त कार्मिकों से सम्बन्धित सूचना का प्रारूप)

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष .....माह ..... तक की सूचना

क्र0	कर्मचारियों का समूह	दिनांक 01-01-2016 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या	पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी वार कार्मिकों की संख्या का ब्रेक-अप				शासनादेश दिनांक 18-07-2017 सपठित शासनादेश दिनांक 04-09-2017 के अनुसार प्रकल्पित वेतन के निर्धारणोपरान्त पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को प्रेषित प्रकरण			
			महालेखाकार उत्तर प्रदेश	विभागीय वित्त नियंत्रक	मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन (मण्डलीय कार्यालय इंगित किया जाये।)	निदेशक, पेंशन	महालेखाकार उत्तर प्रदेश	विभागीय वित्त नियंत्रक	मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन (मण्डलीय कार्यालय इंगित किया जाये।)	निदेशक, पेंशन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1-	क									
2-	ख									
3-	ग									
योग										

हस्ताक्षर
(वित्त नियंत्रक)

हस्ताक्षर
(विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadeshup.nic.in

<u>संख्या-17/2018/सा-3-327/दस-2018, दिनांक 30-05-2018 का संलग्नक-2</u>

(समूह 'घ' के सेवानिवृत्त कार्मिकों से सम्बन्धित सूचना का प्रारूप)

जनपद..... कार्यालय.....

कार्यालयाध्यक्ष .....संबद्ध कोषागार .....माह.....तक की सूचना

दिनांक 01-01-2016 के पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिकों की संख्या	
शासनादेश दिनांक 18-07-2017 सपठित शासनादेश दिनांक 04-05-2017 के अनुसार प्रकल्पित वेतन निर्धारणोपरान्त निर्गत संशोधित पेंशन भुगतानादेशों की संख्या	

हस्ताक्षर

(कार्यालयाध्यक्ष)

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।